



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178538

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8337 वर्ष 2026

राजकुमार दुबे

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : जी.ए., रविकांत शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 68 सन् 2018, धारा 120बी, 409, 467, 468, 471 भा.दं.सं., थाना छावनी, जनपद कानपुर नगर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक वर्तमान मामले का प्रथम सूचनादाता है। उसने स्वयं अपनी पत्नी के नाम पर कंपनी में निवेश किया था। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उसे कंपनी के निदेशकों में से एक दर्शाया गया था। तथापि, उसने वर्ष 2015 में त्यागपत्र दे दिया और वर्ष 2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सामने आया। मामले में जांच दिनांक 01.07.2018 से, अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की तिथि से, लंबित है और केवल आवेदक पर दबाव बनाने के लिए अब उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक को कंपनी **धेनु ग्रीन इंडिया लिमिटेड, डेनु ग्रीन मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड, धेनु एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** तथा धेनु समूह की अन्य कंपनियों द्वारा निवेशकों के धन के गबन के संबंध में कई मामलों में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक ने स्वयं को आपराधिक अभियोजन से बचाने के लिए वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। निवेशकों में से एक ने स्पष्ट रूप से आवेदक के विरुद्ध बयान दिया है।



5. उक्त तर्क के प्रत्युत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निवेशकों के प्रथम बयान में आवेदक का नाम उल्लिखित नहीं था और बाद के बयान में आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. आवेदक स्वयं प्रथम सूचनादाता है। आवेदक का दावा है कि उसने प्रश्नगत कंपनी में अपनी पत्नी के नाम पर धनराशि निवेश की थी। उसका यह भी दावा है कि उसने अपने रिश्तेदारों का धन कंपनी में निवेश किया था। आवेदक का आपराधिक पूर्ववृत्त है, जो प्रश्नगत कंपनी से संबंधित है, सिवाय वर्ष 2009 के एक मामले के, जिसमें आवेदक जमानत पर है और विचारण भी लंबित है। प्रतीत होता है कि अब मामले की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा की जा रही है। लगभग पिछले आठ वर्षों से जांच अभी भी लंबित है।

8. जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

10. आवेदक - **राजकुमार**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, की गिरफ्तारी होने की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-



(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं।

11. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

24 अगस्त, 2026

कुशल